

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग

// आदेश //

क्रमांक 2913/प्र0जि0म0/2020/

दुर्ग, दिनांक 23.3.2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के सम्पर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। अतः COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.3.2020 के अंतर्गत तदसंबंध में आदेश प्रसारित किए गए हैं।

अ. महामारी रोग अधिनियम, 1897 के संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.3.2020 के अंतर्गत दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दुर्ग के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 31.3.2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन) की जाती है एवं इस क्रम में दुर्ग जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से दिनांक 31.3.2020 रात्रि 12.00 बजे तक रोक लगाई जाती है।

ब. यह भी आदेशित किया जाता है कि :-

1. जिले के समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे, परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे।
2. जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालीक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
3. आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर जिले के सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है। किसी भी माध्यम (सड़क, रेल एवं अन्य माध्यम) से जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। अन्तर जिला बस के परिवहन को भी तत्काल



प्रभाव से बंद किया जाता है। दुर्ग जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले के सीमा से बाहर जाने पर प्रतिबंधित किया जाता है।

4. (1) सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। जिले के अंतर्गत स्थित औद्योगिक/व्यापारिक संस्थानों को निम्न परिस्थितियों के अंतर्गत छूट रहेगी :-
 - क/ ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो दवाईयों के उत्पादन एवं निर्माण से संबंधित हैं उनको इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
 - ख/ ऐसी इकाईयां जो आवश्यक वस्तुओं जैसे - खाद्य एवं खाद्य से संबंधित पदार्थों, डेयरी यूनिट इत्यादि से संबंधित है, उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
 - (2) ऐसी इकाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है उनके लिए आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी।
 - (3) इन इकाईयों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।
5. सभी प्रकार के निर्माण एवं श्रम कार्य (सिर्फ मनरेगा को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे।
 6. सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
 7. विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो Home Quarantine की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित quarantine की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
 8. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के कम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

स. आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नलिखित कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है :-

1. आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण) कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय

A

- एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी। ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे।
2. भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय
 3. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी
 4. स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)
 5. दवा दूकान, चश्मों की दूकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन
 6. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें
 7. उचित मूल्य की दुकान (सार्वजनिक वितरण प्रणाली)
 8. खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की गतिविधियां।
 9. दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट)
 10. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेंगे।
 11. मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें /सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन।
 12. बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें
 13. जेल
 14. अग्निशमन सेवायें
 15. ए.टी.एम.
 16. टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें
 17. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां
 18. पशु चारा
 19. पोस्टल सेवायें
 20. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति
 21. टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेण्ट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रुके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें।
 22. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित)
 23. अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों), सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान (Mines)। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों / अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
 24. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया
 25. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।

द. दुर्ग जिले के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
2. सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामुहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।
3. सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे।
4. बैंक द्वारा संचालित ए.टी.एम. में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

ई. निजी प्रतिष्ठान, जो कंडिका- स. में वर्णित गतिविधियों के लिए वांछनीय है एवं COVID-19 के रोकथाम के प्रयासों से संबंधित है, खुले रहेंगे। ऐसे सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

उ. अगर किसी व्यक्ति को अपरिहार्य स्थिति में जिले से बाहर जाना आवश्यक हो या बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में आवेदन जमा करने पर अनुमति दी जा सकेगी।

ओ. (1) उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे।

(2) उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

औ. (1) महामारी रोग अधिनियम, 1897 एवं इसके सन्दर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.3.2020 के सन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिकृत करते हुए यह आदेश जारी किया जा रहा है।

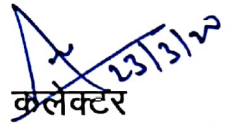
(2) कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2863/प्र.जि.म./2020 दुर्ग, दिनांक 19.3.2020, आदेश क्रमांक 7892/प्र.जि.म./2020, दुर्ग, दिनांक 22.3.2020 एवं आदेश क्रमांक 2912/प्र.जि.म./2020 दुर्ग दिनांक 23.3.2020 द्वारा सम्पूर्ण दुर्ग जिले के लिए धारा 144(1) लगाई गई थी, आदेशों को इस आदेश के साथ पढ़ा जावे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग/भिलाई,भिलाई चरोदा एवं रिसाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. उप संचालक, जनसंपर्क, दुर्ग को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
9. सर्व तहसीलदार, /कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
दुर्ग